दिनांक- 19.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 586/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 19.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 19.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 587/26

महोबा पुलिस

ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को लेकर प्रशासन एवं पुलिस अलर्ट – जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिए आवश्यक निर्देश...।

आज दिनांक- 19.08.2026 को जिलाधिकारी महोबा श्रीमती ग़ज़ल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को सकुशल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

मेला परिसर में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सतर्क निगरानी, प्रभावी पेट्रोलिंग तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही मेला परिसर में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रखने एवं दुकानों के मध्य आवागमन हेतु मार्ग पर्याप्त चौड़े रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

अधिकारियों द्वारा मेला परिसर में श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों की सुगम आवाजाही, भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मेला प्रबंधन समिति एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा मेला परिसर में आमजन की सुविधाओं, बिजली-पानी, प्रकाश एवं स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलाकारों के आयोजन तथा भीड़ प्रबंधन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कजली मेला महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों एवं आगंतुकों की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। मेला परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, यातायात बाधा अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

महोबा पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं भव्य बनाने के लिए समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, सीडीओ, अपर जिलाधिकारी इंद्र नंदन सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड, उपजिलाधिकारी शिवध्यान पाण्डेय, प्र0नि0 कोतवाली मनीष कुमार पाण्डेय, प्रभारी यातायात सुनील कुमार सिंह सहित नगर पालिका परिषद के पदाधिकारीगण, सहित महोबा संरक्षण एवं विकास समिति के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

दिनांक- 19.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 588/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का जागरूकता अभियान, महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार व आत्मनिर्भरता का संदेश

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण):- डर से सुरक्षा तक, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक – हर कदम नारी के सम्मान में महोबा पुलिस !

"बेटियों के हौसले को मिला नया आसमान, मिशन शक्ति से जाग उठी पहचान।"

मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद की समस्त थाना पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों—181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (महिला शक्ति लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) एवं 1076 (पुलिस कंट्रोल रूम) के बारे में अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने की जानकारी दी गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया, जिसमें POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी शामिल रही।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक मजबूत करना है।

महोबा पुलिस द्वारा समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

दिनांक- 18.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 589/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.08.2026 को थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 ऋषी शुक्ला मय हमराह रि0कां0 गौरव पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र रघुवीर, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम लहदरा थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 सम्बन्धित मु0सं0 1635/2024 अ0सं0 61/2024 धारा 323/325/504/506/308 भा0द0वि0 में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम चौका मोड़ थाना महोबकंठ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार यादव पुत्र रघुवीर, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम लहदरा थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 ऋषी शुक्ला

2.रि0का0 गौरव पाण्डेय

दिनांक- 18.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 590/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.08.2026 को थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य मय हमराह कां0 अजीत यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पवन सोनी पुत्र स्व0 रामस्वरूप सोनी उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम पठारी थाना अजनर जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0-16693/2023 उत्तर प्रदेश राज्य /215/2022 धारा 13 जी एक्ट में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियक्त उपरोक्त को ग्राम पठारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पवन सोनी पुत्र स्व0 रामस्वरूप सोनी उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम पठारी थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य चौकी प्रभारी धवर्रा

2.कां0 अजीत यादव